



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30072026-274985
CG-TL-E-30072026-274985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]
No. 482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अर्थदंड लगाने के लिए पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2026

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/11/225/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी) के साथ पठित धारा 105ई की उप-धारा (3), तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और धारा 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अर्थदंड लगाने के लिए पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2026 कहलाएंगे।

- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के अधीन अर्थदंड लगाने के लिए उद्दिष्ट सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।
- (4) इन विनियमों की समीक्षा प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक उसके पहले इनकी समीक्षा करने, इनका निरसन करने अथवा इनमें संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

2. उद्देश्य

अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के अधीन उल्लंघनों हेतु अर्थदंड लगाने के लिए पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित करना।

3. परिभाषा.

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - (ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (ग) “न्यायनिर्णयन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 105सी के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा।
- (2) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में, अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों और विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों और विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

अर्थदंड लगाने के लिए कार्यवाही

4. अर्थदंड की कार्यवाही का प्रारंभ

- (1) प्राधिकरण द्वारा अर्थदंड की कार्यवाही निम्नलिखित के आधार पर प्रारंभ की जा सकती है—
 - (क) किसी निरीक्षण रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष, विनियामक निगरानी, अथवा शिकायत प्राप्त होने पर पाये गये किसी उल्लंघन अथवा चूक के आधार पर; अथवा
 - (ख) यह देखने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 2सीबी की उप-धारा (2) अथवा धारा 34बी की उप-धारा (4) अथवा धारा 40 की उप-धारा (3) अथवा धारा 41 की उप-धारा (2) अथवा धारा 42 की उप-धाराओं (4) और (5) अथवा धारा 52एफ अथवा धारा 105बी अथवा धारा 105बीए में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लंघन किये हैं या नहीं, संचालित की गई जाँच के अनुसरण में धारा 105सी के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी की सिफारिश के आधार पर।
- (2) प्राधिकरण ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए लिखित में कारण दर्ज करेगा।
- (3) प्राधिकरण के अधिकारी जो निरीक्षण अथवा जाँच में संबद्ध हैं, इन विनियमों के अधीन अर्थदंड की कार्यवाही का भाग नहीं बनेंगे।

5. कारण बताओ नोटिस का निर्गम

- (1) जहाँ प्राधिकरण की राय है कि अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के अधीन चूक अथवा उल्लंघन हुआ है, वहाँ वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसके द्वारा उस व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के संबंधित उपबंध के अधीन अर्थदंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
- (2) उक्त कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगा—
 - (क) आरोपित उल्लंघन के तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण;
 - (ख) अधिनियम, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के उपबंध जिनके उल्लंघन का आरोप किया गया है;
 - (ग) उन दस्तावेजों अथवा अन्य साक्ष्य का विवरण और उनकी प्रतियाँ जिनका आधार कारण बताओ नोटिस में किया गया है;
 - (घ) अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन संबंधित अर्थदंड प्रावधान;
 - (ङ) समय जिसके अंदर लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा; तथा
 - (च) वैयक्तिक सुनवाई का उपयोग करने का विकल्प।
- (3) किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उक्त कार्यवाही के दौरान यदि कोई नया उल्लंघन पाया जाता है, तो प्राधिकरण एक अनुपूरक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जो उपर्युक्त उप-विनियम (2) में उल्लिखित विवरण को विनिर्दिष्ट करेगा।
- (4) उप-विनियम (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस या उप-विनियम (3) के अधीन जारी किये गये अनुपूरक कारण बताओ नोटिस के लिए उत्तर के प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमत समय सामान्यतः 21 दिन से कम नहीं होगा तथा इसे उस व्यक्ति के द्वारा जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, किये जानेवाले अनुरोध पर उपयुक्त समझे गये रूप में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा सकता है।
बशर्ते कि पालिसीधारक अथवा बीमा क्षेत्र के हित को प्रभावित करनेवाली अत्यावश्यक स्थिति में, प्राधिकरण लिखित में कारण दर्ज करते हुए अपने द्वारा उपयुक्त समझे गये रूप में ऐसे कम समय के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

6. नोटिसों का वितरण

- (1) इन विनियमों के अधीन जारी किया गया कारण बताओ नोटिस व्यक्ति को निम्नलिखित किसी भी पद्धति के द्वारा वितरित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) वह उस व्यक्ति को अथवा उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट को वितरित करने या देने के द्वारा; अथवा
 - (ख) वह उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा या कूरियर द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित को भेजने के द्वारा:
 - i. संबंधित व्यक्ति के कार्यालय के पते पर; अथवा
 - ii. उसके निवास स्थान के पते पर अथवा उसके अंतिम ज्ञात निवास के पते पर अथवा उस स्थान के पते पर जहाँ उसने व्यवसाय संचालित किया है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक तौर पर वह कार्य करता है अथवा अंतिम तौर पर उसने कार्य किया है;

iii. प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध इलेक्ट्रानिक मेल विवरण;

(ग) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली संचार की कोई अन्य पद्धति के द्वारा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत दी गई किसी भी एक पद्धति के द्वारा नोटिस का वितरण नहीं होने की स्थिति में, कारण बताओ नोटिस का संक्षेप कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र होगा जिसका राष्ट्रव्यापी प्रसार होगा तथा दूसरा उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित और व्यापक प्रसार से युक्त होगा जहाँ पूर्व में उस व्यक्ति के निवास करने या उसके द्वारा व्यवसाय संचालित किये जाने या अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करने की जानकारी उपलब्ध हो।

(3) अतिरिक्त रूप से, वितरित न किये गये नोटिस प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किये जाएँगे।

7. उत्तर का प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान करना

(1) वह व्यक्ति जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, विनिर्दिष्ट समय के अंदर संबंधित दस्तावेजों के साथ एक लिखित उत्तर प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यदि नोटिस प्राप्त करनेवाला व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता है, तो प्राधिकरण मामले में एकपक्षीय रूप में अग्रसर हो सकता है।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित स्थितियों में वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है:-

(क) जहाँ नोटिस प्राप्त करनेवाला व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाता है; अथवा

(ख) जहाँ प्राधिकरण मानता है कि न्याय के हित में ऐसी वैयक्तिक सुनवाई आवश्यक है।

(4) प्राधिकरण वैयक्तिक सुनवाई के लिए एक तारीख, पद्धति और स्थान निर्धारित करते हुए संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा। वैयक्तिक सुनवाई स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्राधिकरण के द्वारा निर्णीत रूप में आभासी पद्धति के माध्यम से हो सकती है।

(5) नियत तारीख को प्राधिकरण नोटिस प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, नियमों, विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के उपबंध निर्दिष्ट करते हुए, जिनके संबंध में आरोपित उल्लंघन घटित हुआ हो, ऐसे नोटिस के द्वारा किये गये रूप में कथित उल्लंघन के बारे में स्पष्ट करेगा।

(6) प्राधिकरण ऐसे नोटिस प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर देगा जो वह संगत समझता है।

(7) इन विनियमों के अधीन कार्यवाही आयोजित करते समय प्राधिकरण के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए उसे बुलाने और बाध्य करने की शक्ति होगी जिससे वह ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत कर सके जो प्राधिकरण की राय में कार्यवाही की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी अथवा संगत हो सकता है।

(8) यदि कोई व्यक्ति उप-विनियम (3) द्वारा अपेक्षित रूप में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होता, उपेक्षा करता है अथवा इनकार करता है, तो प्राधिकरण इस प्रकार करने के लिए कारण दर्ज करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में कार्यवाही में आगे बढ़ सकता है।

(9) प्राधिकरण नोटिस प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को तथा उप-विनियम (7) में यथाउल्लिखित व्यक्ति को ऐसे समय के अंदर जैसा कि प्राधिकरण प्रदान करे, मामले में लिखित प्रस्तुतीकरण फाइल करने के लिए निर्देश दे सकता है।

8. अर्थदंड लागू करनेवाला आदेश

(1) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के लिए उत्तर प्राप्त करने पर तथा अभिलेखबद्ध सभी संगत सामग्रियों पर विचार करने के उपरांत, आदेश के द्वारा या तो कारण बताओ नोटिस को खारिज कर सकता है यदि कोई कारण विद्यमान न हो, या यदि पर्याप्त कारण विद्यमान हो तो निम्नलिखित को दर्ज करते हुए लिखित में एक सुविवेचित आदेश पारित कर सकता है—

- (क) उसके निष्कर्ष;
 - (ख) उल्लंघन किये गये उपबंध;
 - (ग) लगाया गया अर्थदंड;
 - (घ) अर्थदंड का भुगतान करने के लिए समय-सीमा।
- (2) ऐसा प्रत्येक आदेश दिनांकित और हस्ताक्षरित होगा।
- (3) उक्त आदेश नोटिस प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के द्वारा किये गये उल्लंघन/की गई चूक के लिए उल्लंघन के स्वरूप, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक होगा तथा नोटिस प्राप्त करनेवाले व्यक्ति अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा भविष्य में ऐसे उल्लंघन/चूक के आचरण के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- (4) अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के उपबंधों के अंतर्गत लागू किये जानेवाले अर्थदंड का निर्धारण करते समय, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 105ई की उप-धारा (1) में दिये गये निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:
- i. चूक का स्वरूप, गंभीरता और अवधि;
 - ii. चूक का आवृत्तीय स्वरूप;
 - iii. चूक के परिणामस्वरूप जहाँ भी परिमाणनयोग्य हो वहाँ प्राप्त अनुपातहीन अभिलाभ या अनुचित लाभ;
 - iv. चूक के परिणामस्वरूप पालिसीधारकों के लिए घटित हानि;
 - v. व्यक्ति के द्वारा चूक के प्रभावों और परिणामों को न्यूनीकृत करने के लिए की गई कार्रवाई तथा ऐसी कार्रवाई की सामयिकता और प्रभावकारिता;
 - vi. ऐसी चूक के द्वारा प्रभावित पालिसीधारकों की संख्या;
 - vii. क्या अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों के पालन को सुरक्षित रखने और उनके उल्लंघन का निवारण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लगाया जानेवाला अर्थदंड आनुपातिक है; तथा
 - viii. प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले ऐसे अन्य कारक।
- (5) किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अन्य अनुदेश, जैसे परामर्शक (एडवाइज़री) या / और चेतावनी (काशन) या / और निदेश या / और चेतावनी (वार्निंग) पारित कर सकता है।
- (6) उक्त आदेश संबंधित व्यक्ति को विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट पद्धति में सूचित किया जाएगा।
- (7) उक्त आदेश की एक प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अतिरिक्त रूप से, प्रेस प्रकाशनी (प्रेस रिलीज़) के रूप में दंडात्मक कार्रवाई का संक्षेप प्राधिकरण की वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के अंदर प्रकाशित किया जाएगा।
- (8) प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

9. भुगतान

- (1) लगाये गये अर्थदंड का भुगतान पैंतालीस दिन से अन्यून अवधि के अंदर विनियम 8 के अंतर्गत पारित आदेश में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
- (2) अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा सहायक अनुदेशों के अधीन अर्थदंडों के रूप में वसूल की गई सभी राशियाँ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 16क के अधीन स्थापित पालिसीधारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की जाएँगी।

अध्याय III**विविध****10. सुधार**

प्राधिकरण के विनियम 8 के अधीन पारित किसी भी आदेश में किन्हीं लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटियों अथवा किसी भी आकस्मिक भूल या चूक से उत्पन्न होनेवाली गलती का सुधार प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है, और सुधार की सूचना संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को तत्काल दी जाएगी।

11. शक्ति का प्रत्यायोजन

प्राधिकरण इन विनियमों के अंतर्गत अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन अध्यक्ष अथवा एक या उससे अधिक पूर्णकालिक सदस्यों को अथवा दोनों को अथवा प्राधिकरण के किसी अधिकारी को कर सकता है।

12. बचत

इन विनियमों में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी—

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले की गई कोई भी कार्रवाई, जारी किये गये नोटिस, प्रारंभ की गई कार्यवाहियाँ अथवा पारित किया गया आदेश; अथवा
- (2) अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण की शक्तियाँ।

जी. आर. सूर्या कुमार, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./251/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 30th July, 2026

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner and Procedure for
Imposing Penalties) Regulations, 2026**

F. No. IRDAI/Reg/11/225/2026.— In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 105E read with clause (zd) of sub-section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and section 14 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and applicability

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner and Procedure for Imposing penalties) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall be applicable to all proceedings for imposing penalties under the Act or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or subsidiary instructions made thereunder.
- (4) These Regulations shall be reviewed once every three years from the date of publication, unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objective

To lay down the manner and procedure for imposing penalties for defaults or contraventions under the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or subsidiary instructions made thereunder.

3. Definition.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - (b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - (c) “Adjudicating Officer” shall mean the officer appointed by the Authority as adjudicating officer under Section 105C of the Act.
- (2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or any other rules and regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those acts, rules and regulations.

CHAPTER II

PROCEEDINGS FOR IMPOSITION OF PENALTY

4. Initiation of penalty proceedings

- (1) Penalty proceedings may be initiated by the Authority-
 - (a) on basis of any contravention or default noticed on receipt of an inspection report, investigation report, audit findings, regulatory oversight, or complaint; or
 - (b) on basis of the recommendation of the adjudicating officer under section 105C, pursuant to the inquiry conducted as to whether any person has committed any defaults or contraventions as specified in sub-section (2) of section 2CB or sub-section (4) of section 34B or sub-section (3) of section 40 or sub-section (2) of section 41 or sub-sections (4) and (5) of section 42 or section 52F or section 105B or section 105BA of the Act.
- (2) The Authority shall record reasons in writing for initiating such proceedings.
- (3) The officers of the Authority who are involved in inspection or investigation functions shall not be part of the penalty proceedings under these regulations.

5. Issuance of show cause notice

- (1) Where the Authority is of the opinion that a default or contravention has occurred under the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or subsidiary instructions, it shall issue a show cause notice to the person concerned, requiring him to show cause why a penalty shall not be imposed under the relevant provision of the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations made thereunder.
- (2) The show cause notice shall specify-
 - (a) the details of facts and circumstances of the alleged default or contravention;
 - (b) the provisions of the Act, or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or subsidiary instructions alleged to have been defaulted/ contravened;
 - (c) details and copies of the documents or other evidence relied upon in the show cause notice;

- (d) the relevant penalty provisions under the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations made thereunder;
- (e) the time within which a written reply shall be submitted; and
- (f) the option to avail personal hearing.

(3) Without prejudice, if any new default or contravention is noticed during the proceeding or otherwise, the Authority may issue a supplementary show cause notice which shall specify the details mentioned in sub regulation (2) above.

(4) The time allowed for submission of reply to notice issued under sub regulation (1) or supplementary show cause notice issued under sub regulation (3) shall ordinarily not be less than 21 days and the same may be extended on the request of the person to whom the show cause notice is issued considering the facts and circumstances of the matter, as deemed fit.

Provided that in an emergent situation affecting the interest of the policyholder or the insurance sector, the Authority may by recording reasons in writing, require submission of reply within such shorter time as it may deem fit

6. Service of Notices

(1) A show cause notice issued under these regulations shall be served on the person through any of the following modes, namely: -

- (a) by delivering or tendering it to the person or his duly authorised agent; or
- (b) by sending it to the person by electronic mail or by courier or speed post to:
 - i. the address of the office of the person concerned; or
 - ii. the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain,
 - iii. the electronic mail details available in the records of the Authority;
- (c) by any other mode of communication as may be determined by the Authority.

(2) In case of failure to serve a notice through any one of the modes provided under sub-regulation (1), a brief of the show cause notice shall be published in at least two newspapers, one of which shall be in an English daily newspaper having nationwide circulation and another shall be in a newspaper having wide circulation published in the language of the region where that person was last known to have resided or carried on business or personally worked for gain.

(3) Additionally, the unserved notices shall also be published on the website of the Authority.

7. Submission of reply and grant of personal hearing

(1) The person to whom the show cause notice is issued may submit a written reply along with relevant documents within the time specified.

(2) If the noticee fails to reply to show cause notice within the period specified therein, the Authority shall proceed in the matter ex parte.

(3) The Authority may grant an opportunity of personal hearing: -

- (a) where requested by the noticee; or
- (b) where the Authority considers such personal hearing is necessary in the interest of justice.

(4) The Authority shall issue a notice to the person concerned, fixing a date, the mode and the place for the personal hearing. The personal hearing can be by way of physical appearance or through virtual mode as determined by the Authority.

(5) On the date fixed, the Authority shall explain to the noticee, the default or contravention alleged to have been committed by such noticee indicating the provisions of the Act, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, rules, regulations or subsidiary instructions in respect of which the default or contravention is alleged to have taken place.

(6) The Authority shall give an opportunity to such noticee to produce such documents or evidence as he may consider relevant.

(7) While holding a proceeding under these regulations the Authority shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to, the subject-matter of the proceeding.

(8) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-regulation (3) and (7) before the Authority, the Authority may proceed with the proceeding in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(9) The Authority may direct the noticee and such person as referred to in sub regulation (7) to file written submissions in the matter within such time as may be granted by the Authority.

8. Order imposing penalty

(1) The Authority shall, on receipt of the reply to the show cause notice and after considering all the relevant materials on record, by an order, either dismiss the show cause notice if no cause exists, or if sufficient cause exists pass a reasoned order in writing recording-

- (a) its findings;
- (b) the provisions defaulted or contravened;
- (c) the penalty imposed;
- (d) timeline for payment of penalty.

(2) Every such order shall be dated and signed.

(3) The order shall be proportionate to the contravention/default committed by the noticee and act as a deterrent against the commission of such contravention/default by the noticee or any other person in future, taking into account the nature, seriousness and impact of the default/contravention.

(4) While determining the penalty to be imposed under the provisions of the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or Subsidiary Instructions made thereunder, the Authority shall have regard to the following factors provided in sub section (1) of section 105E of the Act, namely:

- i. the nature, gravity and duration of the default;
- ii. the repetitive nature of the default;
- iii. the disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;
- iv. the loss caused to the policyholders as a result of the default;
- v. the action taken by the person to mitigate the effects and consequences of the default, and the timeliness and effectiveness of such action;
- vi. the number of policyholders impacted by such default;
- vii. whether the penalty to be imposed is proportionate, having regard to the need to secure observance of and deter breach of the provisions of this Act, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and rules and regulations thereunder; and
- viii. such other factors as may be deemed appropriate by the Authority.

(5) Without prejudice, the Authority after considering the facts and circumstances of the matter may pass other instructions such as advisory or/and caution or/and direction or/and warning.

(6) The order shall be communicated to the person concerned in manner as specified in regulation 6.

(7) A copy of the order shall be published on the website of the Authority. In addition, a brief of the penal action in the form of press release shall be published on the website of the Authority within a period of thirty days.

(8) Any person aggrieved by an Order of the Authority may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal within a period of forty-five days from the date of receipt of the copy of the Order made by the Authority.

9. Payment

(1) The penalty imposed shall be paid within a period of forty-five days in the manner specified in the order passed under regulation 8.

(2) All sums realised by way of penalties under the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations or subsidiary instructions made thereunder shall be credited to the Policyholders' Education and Protection Fund established under section 16A of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

CHAPTER III
MISCELLANEOUS

10. Rectification

Any clerical or arithmetical mistakes in any order passed under regulation 8 by the Authority or error therein arising from any accidental slip or omission may, at any time, be corrected by the Authority, and the correction shall be communicated to the person/persons concerned forthwith.

11. Delegation of Power

The Authority may delegate its powers and functions under these regulations to the Chairperson or one or more Whole Time Members or both or any officer of the Authority.

12. Savings

Nothing contained in these regulations shall prejudice -

(1) any action taken, notices issued, proceedings commenced or order passed prior to the commencement of these regulations; or

(2) the powers of the Authority to take any other action under the Act or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or rules or regulations made thereunder.

G. R. SURYA KUMAR, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./251/2026-27]